न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 80 / 2025
जीसीएमएस संख्या–2025 / 147

प्रार्थीगण बनाम	अप्रार्थीगण
1 छतराराम पुत्र मादाराम 2 दुर्गाराम पुत्र मादाराम 3 भारतसिंह पुत्र मादाराम जातियान जाट निवासीगण रतकुड़िया	1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता — दर्ज दिनांक 24 / 04 / 2025

1. श्री निर्मल कटारिया प्रार्थी 1 से 3 की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 09/10/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खांगटा पटवार क्षेत्र खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1750 क्षेत्रफल 1.3651 हेक्टेयर व खसरा नबर 1936 क्षेत्रफल 0.0277 हेक्टेयर कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल 1.3928 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व रेकर्ड के नया खाता संख्या 710 व पूराना 713 पर इन्द्राजशुदा है सबूत मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2081 मय नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्राथीगण का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण सावणु फसल की बुवाई करते आये है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार / तारबंदी करवाना चाहतें है। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढी / मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थीगण ने नियमानुसार तहसील कार्यालय में विधिवत रूप से आवेदन कर सीमाज्ञान 08.07.2024 को करवा रखा है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगें एंव मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगें एंव नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देगें। अप्रार्थी को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम खांगटा पटवार क्षेत्र खांगटा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 1750 क्षेत्रफल 1.3651 हेक्टेयर व खसरा नबंर 1936 क्षेत्रफल 0.0277 हेक्टेयर कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल 1.3928 हेक्टेयर भूमि का नाप चौप किया जाकर सीमाकंन किया जाकर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करवाने हेतु तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम खांगटा में स्थित खसरा नम्बर 1750 क्षेत्रफल 1.3651 हेक्टेयर व खसरा नबंर 1936 क्षेत्रफल 0.0277 हेक्टेयर कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल 1.3928 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि राजस्व ग्राम खांगटा के खसरा संख्या 1750 व 1936 की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खांगटा में स्थित खसरा नम्बर 1750 क्षेत्रफल 1.3651 हेक्टेयर व खसरा नबंर 1936 क्षेत्रफल 0.0277 हेक्टेयर कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल 1.3928 हेक्टेयर भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुंल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 09/10/2025 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर